



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़ 1942 (श0)
(सं0 पटना 425) पटना, मंगलवार, 7 जुलाई 2020

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

3 जुलाई 2020

जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान (संशोधन) नियमावली, 2020

सं० 15/एम 1-36/2013 (अंश)-1124—बिहार गैर-सरकारी शिक्षण संस्था (ग्रहण) अधिनियम, 1988 (अधिनियम 4,1988) की धारा 12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान नियमावली, 2014 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—

- (1) यह नियमावली “जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान (संशोधन) नियमावली, 2020” कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2014 के अध्याय-4 के नियम-5 (1) का प्रतिस्थापन :—

उक्त नियमावली, 2014 के नियम-5 (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:—

“संस्थान के कर्मियों की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी। निदेशक सहित शैक्षिक पदों पर नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण विभाग द्वारा शिक्षा एवं शोध के हित में समय-समय पर किया जायेगा। गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा वही होगी, जो समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्धारित की जायेगी।”

3. उक्त नियमावली, 2014 के अध्याय-4 के नियम-6 (1) का प्रतिस्थापन :—

उक्त नियमावली, 2014 के नियम-6 (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:—

“निदेशक योगदान की तिथि से 03 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु तक, जो दोनों में से कम हो, के लिए अपना पद धारित करेगा। परन्तु राज्य सरकार प्रशासनिक हित में समुचित कारण के आधार पर कार्यावधि पूर्ण होने के पूर्व भी निदेशक को पदच्युत कर सकेगी। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार, निदेशक की कार्यावधि का विस्तार/पुनर्नियुक्ति अधिकतम 67 वर्ष की आयु तक कर सकेगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सतीश चन्द्र झा,

सरकार के विशेष सचिव।

The 3rd July 2020

**Jagjivan Ram Parliamentary Studies and Political Research Institute
(Amendment) Rules, 2020**

No.-15/M1-36/2013 part-1124— In exercises of the powers conferred under section 12 of the Bihar Non Government Educational Institution (Taking over) Act, 1988 (Act 4,1988) the State Government Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Jagjivan Ram Parliamentary Studies and Political Research Institute Rules, 2014

1. *Short title, extent and commencement.*—

- (1) These Rules may be called “Jagjivan Ram Parliamentary Studies and Political Research Institute (Amendment) Rules 2020”
- (2) It shall extend to the whole State of Bihar
- (3) It shall come into force with immediate effect.

2. *Substitution of Rule 5(1) of the chapter-4, of the said Rules, 2014:-*

The Rule-5 (1) of the said Rules, 2014 is substituted by the following: -

“The minimum age limit for appointment of the employees of the institute shall be 21 years. The determination of maximum age limit for appointment to academic posts shall be done by the Department in the interest of education and research from time to time. The maximum age limit for appointment to the non-academic posts shall be the same as determined from time to time by the General Administration Department, Government of Bihar, Patna.”

3. *Substitution of The Rule 6(1) of the chapter-4 of the said Rules, 2014 :-*

The Rule 6(1) of the said Rules, 2014 is substituted by the following:-

“Director shall hold the office for 3 years or upto the age of 67 year, whichever is earlier from the date of joining. But the Government may remove the Director on the ground of sufficient reason before the completion of his/her tenure. The State Government may extend the work-tenure of the Director or re-appoint him upto the age of 67 years as per the need.”

**By Order of the Governor of Bihar,
SATISH CHANDRA JHA,
Special Secretary.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 425-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>